जालौन पुलिस

दिनांक –04.12.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 01 अभियोग में 05 अभियुक्तों को मान0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण – अभियुक्तगण **1.** ज्ञान प्रकाश उर्फ चच्चू पुत्र दुर्गाप्रसाद उर्फ महेश्वरदीन **2.** अनुराग उर्फ अंशू पुत्र ज्ञानप्रकाश तिवारी **3.** शशांक उर्फ लालू पुत्र संतोष दुबे **4.** अनुपम तिवारी उर्फ बाबा पुत्र राजेश तिवारी **5.** कृष्णा पुत्र ज्ञानप्रकाश तिवारी निवासीगण बागी थाना कदौरा जनपद जालौन द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलाप में संलिप्त होकर आमजनमानस को डरा धमकाकर अपने आर्थिक लाभ हेतु भय व दहशत फैलाने के सम्बन्ध में थाना कदौरा में मु0अ0सं0 235/2018 (वाद संख्या 04/2019) धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 04.12.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी गैंगेस्टर कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा **अभियुक्तगण 1. ज्ञान प्रकाश उर्फ चच्चू 2. अनुराग उर्फ अंशू 3. शशांक उर्फ लालू 4. अनुपम तिवारी उर्फ बाबा 5. कृष्णा उपरोक्त को दोषी पाते हुये 03 वर्ष का कारावास एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**